


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण जानकारी।

देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-

- ❖ अन्त्योदय अन्य योजना - 20 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- ❖ पात्र गृहस्थी योजना - 03 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 02 कि०ग्रा० चावल कुल 05 कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- ❖ उपरोक्त दोनों योजनाओं पर गेहूँ रु०-02 प्रति कि०ग्रा० तथा चावल रु०-03 कि०ग्रा० की दर से देय।

खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- ❖ कार्ड धारक विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 अथवा 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- ❖ जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- ❖ जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात् नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।



**खाद्य तथा रसद विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
जनपद : बाराबंकी**

राशन कार्ड क्रमांक : **217641002811**
टाउन : **Barabanki (M CORP.)**
मुखिया का नाम : **तारावती**
पिता / पति का नाम : **राम गोपाल**
श्रेणी/जाति : **पिछड़े वर्ग**
निवास का पता : **SARAIPANDEY TRIVENIGANJ SARAIPANDEY Barabanki (M Corp)**
आधार /इनरोलमेंट नं० : **XXXX XXXX**
गैस ग्राहक कनेक्शन सं० :
गैस एजेंसी का नाम :
उचित दर दुकान : **Munni**
यूनिटों का विवरण : **7 (Seven)**

दिनांक : 21-05-2024

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - २० के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड
IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP. Print at :

परिवार की सदस्यों की सूची

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम (हिंदी में)	मुखिया से सम्बन्ध
1	तारावती	आशाराम	स्वयं
2	राम गोपाल	राम सूचित	सौहर / पति
3	पलक	राम सूचित	बेटी
4	पल्लवी	राम सूचित	बेटी
5	प्रियंका	राम गोपाल	बेटी
6	आदिति	राम गोपाल	बेटी
7	कृष्णा	राम गोपाल	बेटा